Form-III

[See rule 3(2) (c) & 12 (2) (c)]

Affidavit

(U/S 7 (2) of the Private Security Agency (Regulation) Act, 2005)

	I,S/O
Age	eCasteR/O
(1)	That I am citizen of India.
(2)	That I have not been convicted by any court of law in India or abroad for an offence in connection with promotion, formation or management of any company (any fraud or misfeasance committed by me in relation to any company.
(3)	That I have not been convicted by any court of law in India or abroad for an offence prescribed punishment for which imprisonment of not less than two years.
(4)	That I have no link whatsoever with any organization or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to the national security or public order.
(5)	That, there is no case or information registered against me in the Police or with other competent authorities for committing or abetting the activities which are prejudicial to national security or public order.
(6)	That I have not been dismissed or removed from any government service on the grounds of misconduct or moral turpitude.
(7)	That my company/Firm/association is registered in India and no proprietor or majority share holder, as partner or director in this company/Firm/association is citizen of country other than India.
(8)	That I will ensure the availability of training prescribed for the security grounds and supervisors.
(9)	That I will abide by the conditions of the license.
	Signature of the Applicant Name & Full Address
	Verification
I,	S/O
Age	R/O

Signature of the Applicant Name & full Address

solemnly declare that I have read over the above clauses (1) to (8) with full sense. All these

clauses are correct, true and in my full knowledge.

अण्डरटेकिंग का प्रारूप

	मैं पुत्र
उम्र	निवासी
प्राईवेट र	नुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम–2005 के अन्तर्गत (संस्थान का नाम)
	सशपथपूर्वक घोषण करता हं कि : —

- 1. यह कि प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 6 तथा राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 6 के के प्रावधानों की पालना करूंगा। आवेदक के विरुद्ध पुलिस अथवा किसी भी न्यायालय में कोई वाद लिम्बत नहीं है। यदि ऐसा अवसर आया तो मैं अविलम्ब श्रीमान नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करूंगा। साथ ही मैं यह भी विश्वास दिलाता हुं कि यदि मेरी संस्था अथवा संस्था से संबद्ध व्यक्ति / कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में अविलम्ब नियन्त्रण अधिकारी को सूचना दूंगा। संस्था से संबद्ध व्यक्ति, पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम, पते आदि के परिवर्तन की सूचना निर्धारित समय में दूगा।
- 2. यह कि मैने पूर्व में कोई सुरक्षा एजेन्सी लाईसेन्स प्राप्त नहीं किया है तथा वर्तमान मे राजस्थान में बिना लाईसेन्स व्यवसाय नहीं कर रहा हूं।
- 3. यह कि लाईसेन्स प्राप्त होने के बाद मेरी संस्था में नियुक्त सुरक्षा गार्डस को राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षण उपरान्त ही कार्य में नियोजित करूंगा और अपने सुरक्षा गार्डस को अन्य एजेन्सी को उपलब्ध नहीं कराउंगा।
- 4. यह कि मेरी संस्था में सुरक्षा गार्ड्स के नियोजन में प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 10 प्रावधानों के प्रावधानों की पूर्णतया पालना करूंगा।
- 5. यह कि प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 11 तथा नियम 2006 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुरूप रजिस्टर संधारित करूंगा।
- 6. यह कि मेरे संस्थान द्वारा सुरक्षा गार्डस के नियोजन में प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 13 (1)(जे) में उल्लिखित अनुसूची में बताये गये सभी अधिनियमों की पालना करूंगा। E.P.F., E.S.I. & Service Tax के रिजस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति अथवा लाईसेंस प्राप्ति से 6 माह की अविध में रिजस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अण्डरटेकिंग।
- 7. यह कि प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 18 (2) के अन्तर्गत पुलिस एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सत्यापन अथवा जांच / निरीक्षण कार्यवाही के दौरान सहयोग करूंगा।
- 8. यह कि प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 21 की पालना में मेरी संस्था के संबद्ध व्यक्ति / कर्मचारी सैन्य बलों, अद्धसैनिक बलों, पुलिस अथवा किसी भी राजकीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा धारण की जाने वाली वर्दी एवं रैंक-बैजेज़ से मिलते जुलते वर्दी व चिन्ह धारण नहीं किये जायेगें।

आवेदक के हस्ताक्षर नाम और पूरा पता

मैं उपरोक्त शपथग्रहीता सत्यापित करता हूं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक तथ्य मेरी जानकारी में सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरित कोई जानकारी प्रकाश में आने पर नियंत्रण प्राधिकारी को पंजीयन रदद करने का अधिकारी होगा। ईश्वर साक्षी है।

> आवेदक के हस्ताक्षर नाम और पूरा पता

(आवेदक व सह आवेदकों के <u>10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप</u> पर अलग—अलग शपथ पत्रों को नोटेरी पब्लिक से सत्यापित तथा कोई शपथ छूटी अथवा परिवर्तित नही होनी चाहिए।)